

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227544

पटना, दिनांक 11/4/15

ग्रा.वि.-14(म0)गया-01/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री वकील प्रसाद सिंह (बि0प्र0से0- 2147/99, 939/08),
वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गया सदर, गया)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप गया सदर प्रखंड (जिला-गया) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
10617.94971	₹ 14546591.1

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 10617.94971 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार
10.4.15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

dist	block	bdo_name	R_Food	Amt
गया	आमस	गुरफान अहमद (बि०प्र०से०-2439/99, 1326/2004)	674.82387	924508.7
गया	अतरी	निरंजन कुमार	730	1000100
गया	बाकेबाजार	मो० कबीर (बि०प्र०से०- 2551/99)	15.6865	21490.5
गया	बेला गंज	चेरी मल्लिक	384.72708	527076.1
गया	डोभी	दिनेश कु० राय (बि०प्र०से०- 1956/99, 612/2011, 840/2008)	1863.27657	2552688.9
गया	डुमरिया	सुधीर कुमार (बि०प्र०से०- 2346/99)	102.94	141027.8
गया	फतेहपुर	मनोज कुमार (बि०प्र०से०- 2489/99)	4126.51445	5653324.8
गया	गया सदर	वकील प्रसाद सिंह (बि०प्र०से०- 2147/99, 939/08)	10617.94971	14546591.1
गया	काँच	राकेश कुमार	4409.98	6041672.6
गया	नामचक बथानी	निरंजन कुमार	40	54800
गया	परैया	ओम प्रकाश (बि०प्र०से०- 1751/99, 901/04)	3790.75496	5193334.3
गया	शेरघाटी	रमेश चन्द्र चौधरी (बि०प्र०से०-1961/99)	269.19613	368798.7
गया	टेकारी	जगत नारायण प्रसाद	4186.77591	5735883

